

पत्रांक... 18/1/303

दिनांक... 08/04/2019

श्रीमान जी,


आर्यकुल कालेज आफ फार्मसी एण्ड रिसर्च लखनऊ के सचिव सशक्त सिंह द्वारा प्राप्त आवेदन जिसके द्वारा गाटा संख्या 2001, 2002, 2002मी, 2003 व 1978 जो संस्थान आर्यकुल इंस्टीट्यूट आफ फार्मसी रायबरेली के नाम है, की स्थलीय जॉचोपरान्त उपरोक्त भूमि को शैक्षिक कार्य हेतु उपयोग करने दिया जा सकता है। उपरोक्त गाटा संख्या में किसी प्रकार का नाला व रास्ता आदि नहीं है और न ही आस-पास कोई फैक्ट्री है। उक्त वर्णित गाटाओं के ऊपर से उच्च शक्ति विद्युत तार नहीं निकला है। अतः उपरोक्त भूमि शैक्षिक कार्य हेतु उपर्युक्त हैं व अवशेष भू-भाग का उपयोग शैक्षिक के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

महोदय को लेखपाल की आख्या प्रेषित

अमात्रा

रिपोर्ट महोदय को संस्तुति सहित प्रेषित

उपरोक्त गाटा संख्या 2001, 2002, 2002मी, 2003 व 1978 का उपयोग शैक्षिक कार्य संचालन हेतु किया जा सकता है।


तहसीलदार, महाराजगंज,
रायबरेली

(तहसीलदार)